कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद / निकाशि / विविध / 2010 / पार्ट–II / 184 दिनांकः 28 अगस्त, 2012

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन्टी रैगिंग के लिए पारित निर्देशों के संबंध में प्रत्येक महाविद्यालयों में की जाने वाली कार्यवाही।

संदर्भः शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग का पत्रांकः प. 3(1)शिक्षा–4 / 2007 दिनांक 26.07.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन्टी रैगिंग के लिए पारित निर्देशों के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि :–

1 राज्य स्तर पर एक मॉनिटरिंग सैल राज्य के समस्त विश्वविद्यालय के चान्सलर की अध्यक्षता में होगा। चान्सलर के रूप में राज्यपाल यह सुनिश्चित कर सकेगें कि राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन को रैगिंग के संबंध में अलर्ट रहने हेतु भली भांति प्रकार से निर्देशित कर दिया गया है। राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग शाखा को समय–समय पर जिला स्तरीय एन्टी रैगिंग समिति स्टेट्स रिपोर्ट देगी।

2 जिला स्तर पर भी एक एन्टी रैगिंग समिति गठित होगी, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। इस जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / जिला मजिस्ट्रेट समिति में पुलिस अधीक्षक / सीनियर पुलिस अधीक्षक भी सदस्य होंगे।

एस जिला मजिस्ट्रेट समिति का सदस्य सचिव होगा, स्थानीय मीडिया के प्रतिनिधित्व के साथ साथ जिला स्तरीय एन.जी.ओ. जो कि युवा गतिविधियों, व विभिन्न विद्यार्थी संगठनों के प्रतिनिधियों का भी एक प्रतिनिधित्व होगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा ग्रीष्मावकाश में एन्टी रैगिंग संबंधी कुछ पूर्व बैठक आयोजित कर प्रत्येक संस्थान की तैयारी का जायजा लिया जायेगा। इसी अवधि में पब्लिसिटी अभियान भी आयोजित किये जा सकते हैं।

3 प्रत्येक संस्थान की स्वयं की एन्टी रैगिंग समिति एवं एन्टी रैगिंग दस्ता होगा, जिसमें प्रत्येक जेण्डर का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। महाविद्यालय स्तर पर समिति में सिविल व पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि, लोकल मीडिया, एन.जी.ओ. जो कि युवा गतिविधियों से संबंधित हो, संकायों के प्रतिनिधि, अभिभावकों एवं नये प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, सीनियर विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, नॉन टीचिंग स्टाफ प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। समिति के अध्यक्ष महाविद्यालय के प्राचार्य होंगे।

एन्टी रैगिंग स्कावड महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा मनोनीत की गई एक बॉडी होगी जो कि महाविद्यालय में रैगिंग के संबंध में अलर्ट एवं ऐक्टिव रहेगी एवं यह हॉस्टल एवं रैगिंग हेतु अन्य संवेदनशील स्थानों पर छापे मारने हेतु अधिकृत होगी। स्कावड में केवल महाविद्यालय कैम्पस से संबंधित प्रतिनिधि ही होंगे।

4 महाविद्यालयों के कैम्पस के बाहर बढती संख्या में संचालित हो रहे निजी हास्टल, लॉज इत्यादि की पूर्ण सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन रखेगा एवं उन्ही की अनुमति से ये प्रारम्भ होंगे। इन निजी हॉस्टल के प्रबन्धक रैगिंग की किसी भी घटना को रिपोर्ट करने के अधिकृत होंगे तथा उसके संबंध में उचित कार्यवाही भी करेंगे।

5 हॉस्टल वार्डन पूरे समय उपलब्ध रहेंगे। अतः संस्थाओं द्वारा वार्डन को मोबाईल फोन उपलब्ध करवाना होगा एवं उनके फोन नम्बर का व्यापक रूप से प्रसार करना होगा। दूसरे महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं – प्राचार्य, संकाय सदस्य, एन्टी रैगिंग समिति के सदस्य व अन्य जिला तथा सब– डीविजनल अधिकारियों के फोन नम्बर भी इमरजेन्सी हेतु प्रसारित करने होंगे। नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में प्रत्येक छात्र को प्रवेश आवेदन के साथ रैगिंग में सम्मिलित न होने की अण्डरटेकिंग देनी होगी।

एक अतिरिक्त अधिकारी / पुलिस अधीक्षक के क्षेत्राधिकार में जो भी महाविद्यालय आते हों उनमें रैगिंग न होने देने का उत्तरदायित्व उन्हीं का होगा। साथ ही रैगिंग प्रकरणों में शक्ति से कार्यवाही करने का भी जिससे कि समाज के लोग निर्भय होकर ऐसे प्रकरणों की रिपोर्टिंग कर सकें।

भवदीय

(सुबीर कुमार)
निदेशक

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद / निकाशि / विविध / 2010 / पार्ट–II / 184 दिनांकः 28 अगस्त, 2012

प्रतिलिपिः डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया निदेशालय की बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक